मद्रास राज्य

बनाम

सी.पी. सारथी और अन्य

(पतंजलि शास्त्री सी.जे., मुखर्जी,

चंद्रसेखर अय्यर, विवियन बोस और

गुलाम हसन जेजे.]

औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14 धारा 10 (1) (C) 29- औद्योगिक न्यायाधिकरण को संदर्भ-विवाद या पक्षकारों की प्रकृति निर्दिष्ट नहीं है-संदर्भ और पंचाट की वैधता-कर्मचारियों के संघ द्ववारा अपनी कई चिताओं के संबंध में मागें-नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों की कुछ चिताओं संबंधी मांगों की स्वीकृति- सभी चिंताओं के रूप में संदर्भ की वैधता।

दक्षिण भारतीय सिनेमा कर्मचारी संघ एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन है जिसके सदस्य मद्रास राज्य के व्यवसाय करने वाली विभिन्न सिनेमा कंपनियों के कर्मचारी है इनमें मद्रास शहर में संचालित 24 सिनेमा घर शामिल है जिनमें प्रभात टाकिज भी शामिल है। संघ ने मद्रास के श्रम आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें नियोक्ताओं के खिलाफ बडी हुयी मजदूरी वगैरहा की कुछ मांगों संबधि विवादों के निराकरण के लिए था। श्रम आयुक्त ने कुछ निश्चित न्यूनतम का सुझाव दिया। प्रभात टाकिज और कुछ कंपनियों द्वारा स्वीकार किया गया और एक बैठक बुलाई गयी जिसमें इस आशय का प्रस्ताव पारीत किया गया कि सभी की मांगों के बारे में कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। संघ ने हडताल पर जाने का तय किया। श्रम आयुक्त ने राज्य

सरकार को रिपोर्ट दी और राज्य सरकार ने औद्योगिक न्यायाधिकरण को संदर्भ भेजा जिसका तात्विक भाव यह था कि 'मद्रास शहर में सिनेमा टाकिज के श्रमिकों और प्रबंधन के बीच एक औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है और मद्रास के महामहिम राज्यपाल की राय में उक्त औद्योगिक विवाद को न्याय निर्णयन के लिए संदर्भित करना आवश्यक है।' प्रभात टाकिज ने न्यायाधिकरण के समक्ष दावा किया कि प्रबंधन और उनके कर्मचारियों के बीच कोई विवाद नहीं है इसलिए उन्हें शामिल नहीं किया जाना चाहिए किंतु न्यायाधिकरण ने इस तर्क को नहीं माना और यह पंचाट पारित किया कि प्रभात टाकिज के प्रबंधन निर्देशक को पंचाट की अपालना के लिए अभियोजित किया जावे।

पूर्ण पीठ द्वारा अभिनिर्धारित (1) यह कि श्रम आयुक्त की रिपोर्ट से यह स्पष्ट दर्शित होता है कि प्रबंधक और सिनेमा कंपनी के कर्मचारियों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान था। (2) चूंकि प्रभात टॉकीज़ के कुछ कार्यकर्ता संघ के सदस्य थे और विवाद होने पर भी एक संदर्भ दिया जा सकता था इसलिए सरकार को प्रभात टॉकीज़ के संबंध में भी एक संदर्भ देने का अधिकार था और संदर्भ और पंचाट प्रभात टॉकीज़ पर बाध्यकारी थे।

पतंजलि शास्त्री सी.जे मुखर्जी, चंद्रसेखर अय्यर और गुलाम हसन न्यायाधीपति द्वारा निर्धारित -कि धारा 10(1) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत अधिकरण को संदर्भ को केवल इसलिए अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि इसमें विवादों या उन पक्षों को निर्दिष्ट नहीं किया गया है जिनके बीच विवाद उत्पन्न हुए थे। न्यायाधिपति बोस के अनुसार-संदर्भ के आदेश को उन दस्तावेजों के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो इसके साथ थे और धारा 10 (1) (सी) औद्योगिक विवाद अधिनियम की पर्याप्त पालना में था। भले ही उक्त खंड में विवाद शब्दों के लिए सरकार से विवाद की

प्रकृति को इंगित करने की आवश्यकता हो, जिसे न्यायाधिकरण को निपटाना आवश्यक है। भले ही किसी संदर्भ में विवाद की प्रकृति को इंगित करना कानूनी रूप से आवश्यक न हो यह वांछनीय है कि ऐसा किया जाना चाहिए।

पतंजलि शास्त्री सी.जे मुखर्जी चंद्रसेखर अय्यर और गुलाम हसन न्यायाधिपति के अनुसार -हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार के ध्यान में लाये गये तथ्यों और परिस्थियों से संतुष्ट हुए बिना धारा 10 (1) के तहत एक संदर्भ देना उचित होगा कि कोई एक प्रतिष्ठान या किसी विशेष उद्योग में लगे प्रतिष्ठानों का एक निश्चित समूह में कोई औद्योगिक विवाद मौजूद है या उसके संबंध में आशंका है। यह भी वांछनीय है कि सरकार जहाँ भी संभव हो संदर्भ के क्रम में विवाद के प्रकृति का संकेत दे लेकिन यह याद रखना चाहिए कि धारा 10(1) के तहत एक संदर्भ बनाते समय सरकार एक प्रशासनिक कार्य कर रही है और तथ्य यह है कि उसे प्रारंभिक कदम के रूप में एक औद्योगिक विवाद के तथ्यात्मक अस्तीत्व के बारे में एक राय बनानी होगी। इसके कार्यो का निर्वहन इसे किसी भी तरह से कम प्रशासनिक चरित्र नहीं बनाता है इसलिए न्यायालय यह देखने के लिए संदर्भ के आदेश को बारिकी से प्रचारित नहीं कर सकता है कि क्या सरकार के समक्ष उसके निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री की क्योंकि यह एक न्यायिक या अर्धन्यायिक निर्धारण था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक पार्टी के लिए खुला होगा जो परिणामी पंचाट को चुनौती देनी की कोशिश करेगी ताकि यह दिखाया जा सके कि सरकार द्वारा जो संदर्भ किया गया था वह अधिनियम के अर्थ में औद्योगिक विवाद नहीं था इसलिए अधिकरण के पास पंचाट जारी करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था लेकिन यदि विवाद अधिनियम में प्रभाषित एक औद्योगिक विवाद था तो इसका तथ्यात्मक अस्तित्व और किसी विशेष मामले की परिस्थतियों में संदर्भ देने की उपयुक्तता पूरी तरह से सरकार के लिए निर्णय लेने का मामला है और यह न्यायालय के लिए सक्षम नहीं होगा कि वह संदर्भ को खराब माने

और अधिकार क्षेत्र के अभाव में कार्यवाही को केवल इसलिए रदद कर दे कि उसकी राय में सरकार के पास ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जिसके आधार पर वह उन मामलों पर साकारात्मक निष्कर्ष पर आ सकती थी। सरकार को विवाद की प्रकृति के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए ताकि यह संतुष्ट किया जा सके कि यह अधिनियम के अर्थ में एक औद्योगिक विवाद है, उदाहरण के लिए कि यह छंटनी या बहाली से संबंधित है लेकिन इसके अलावा सरकार पर कोई बाध्यता नहीं रखी जा सकती है कि वह धारा 10 (1) में संदर्भ देने से पहले विवादों के विवरणों का पता लगाए।

अधिकरण द्वारा निर्णय उद्योग में मौजूदा स्थितियों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष ओर उचित आधार पर विवादों को निपटाने का एक वैकल्पिक रूप है और यह किसी भी तरह से सामान्य सिविल विवादों में पक्षकारों के सिविल अधिकारों के निर्धारण में मध्यस्थ के अनुरूप नहीं है।

रामय्या पंतुलु बनाम कुट्टी एंड राव (इंजीनियर्स) लिमिटेड (1949)1 एम एल जे 231) इंडिया पेपर पल्प कंपनी लिमिटेड बनाम इंडिया पेपर पल्प श्रमिक संघ (1949 50) (एफ सी आर 348) कंदन टेक्सटाइल्स लिमिटेड बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण मद्रास (1949 2 एम एल जे 789) और पश्चिमी इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का मामला (1949-50 एफ सी आर 321) संदर्भित किया गया।

मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को उलट दिया गया।

अपीलीय क्षेत्राधिकार: मुकदमा सं 86/1951।

संविधान के अनुच्छेद 132 (1) के तहत 15 नवंबर 1950 के मद्रास उच्च न्यायालय (मेनन और सईद जे जे) आपराधिक विविध याचिका संख्या 1278/1950 में पारित निर्णय व आदेश के विरूद्ध अपील।

वी.के.टी. चारी (मद्रास के महाधिवक्ता) (गणपति अय्यर उनके साथ) अपीलार्थी के लिए।

के.एस. कृष्णस्वामी अयंगर (के वेंकटरमानी, उसके साथ) प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए।

5 दिसंबर 1952 पतंजलि शास्त्री सी.जे., मुखर्जी, चंद्रशेखर अय्यर और गुलाम हसन जेजे. का निर्णय पतंजलि शास्त्री सी.जे. बिबियन बोस जे. द्वारा अलग निर्णय दिया।

पतंजलि शास्त्री सी.जे. यह अपील मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश से है जिसमें मद्रास के तीसरी प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रथम प्रत्यर्थी जो कि मद्रास में व्यवसाय करने वाली सिनेमा कंपनी प्रभात टाकिज का प्रबंध निर्देशक है के विरूद्ध संस्थित आपराधिक कार्यवाही को रदद कर दिया गया। मद्रास के तीसरे प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट की अदालत में पहले प्रत्यर्थी के खिलाफ जो प्रभात टॉकीज़ के नाम से मद्रास में व्यवसाय करने वाली एक सिनेमा कंपनी का प्रबंध निदेशक है।

पुलिस द्वारा दायर आरोप-पत्र से कार्यवाही शुरू हुई। प्रत्यर्थी पर धारा 29 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के तहत आरोप यह था कि प्रथम प्रत्यर्थी औद्योगिक न्यायाधिकरण मद्रास द्वारा 15 दिसंबर 1947 को दिए गए एक पंचाट की कुछ शर्तों को लागू करने में विफल रहा और इस प्रकार उसने अधिनियम की उक्त शर्तों का उल्लंघन किया जो उस पर बाध्यकारी थी।

प्रथम प्रत्यर्थी ने मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रारंभिक आपत्ति जताई कि मजिस्ट्रेट के पास जांच के साथ आगे बढ़ने के लिए कोई क्षेत्राधिकार नहीं था क्योंकि जिस पंचाट पर अभियोजन पक्ष आधारित था, वह अधिकार से बाहर था और इस आधार पर अमान्य

था कि औद्योगिक न्यायाधिकरण का संदर्भ जिसके परिणामस्वरूप पंचाट दिया गया था। सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 10 की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं किया गया था। चूंकि मजिस्ट्रेट ने प्रारंभिक बिंदु के रूप में आपत्ति पर विचार करने से इनकार कर दिया। इसलिए पहले प्रत्यर्थी ने मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित कार्यवाही को रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में आवेदन किया। आवेदन पर पहली बार एकल पीठ के न्यायाधीश ने सुनवाई की, जिन्होंने इसमें शामिल महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए मामले को खंड पीठ के पास भेज दिया और तदनुसार न्यायाधिपति गोविंदा मेनन और बशीर अहमद ने सुनवाई की जिन्होंने आपत्ति को बरकरार रखा और 15 नवंबर 1950 के अपने आदेश द्वारा कार्यवाही को रद्द कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध मद्रास राज्य द्वारा अपील दायर की गयी।

दूसरा प्रत्यर्थी, साउथ इंडियन सिनेमा एम्प्लॉइज एसोसिएशन (इसके बाद एसोसिएशन के रूप में संदर्भित) एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन है जिसके सदस्य मद्रास राज्य में व्यवसाय करने वाली विभिन्न सिनेमा कंपनियों के कर्मचारी हैं। इनमें से मद्रास शहर में संचालित 24 सिनेमा घर हैं जिनमें प्रभात टॉकीज़ भी शामिल है।8
नवंबर 1946 में एसोसिएशन ने मद्रास के श्रम आयुक्त जिन्हें अधिनियम के तहत सुलह अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया गया था को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें नियोक्ताओं के खिलाफ मजदूरी और महँगाई भत्ते में वृद्धि तीन महीने के वेतन का वार्षिक बोनस छुट्टी की सुविधाओं में वृद्धि भविष्य निधि और सजा देने में प्रति प्रक्रिया प्रो को अपनाने और अधिकारी से विवादों को निपटाने का अनुरोध किया गया क्योंकि नियोक्ता मांगों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। कर्मचारियों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों से मिलने के बाद श्रम आयुक्त ने 28 अप्रैल 1947 को कुछ न्यूनतम शर्तों का सुझाव दिया जिन्हें उन्होंने नियोक्ताओं और संघ के अधिकारियों को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया। प्रभात टॉकीज सहित शहर की छह सिनेमा कंपनियों के

प्रबंधक शर्तों को पूरा करने के लिए सहमत हो गए, लेकिन अन्य कंपनियों के प्रबंधन ने स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना नहीं दी। इस बीच 22 फरवरी 1947 को प्रभात टॉकीज सहित चार सिनेमा कंपनियों के कर्मचारियों की एक बैठक बुलाई गई थी। 139 श्रमिकों में से 94 ने बैठक में भाग लिया और इस आशय के प्रस्ताव पारित किए गए कि एसोसिएशन की मांगों के बारे में कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन कंपनियों के प्रबंधन ने मजदूरी और छुट्टी सुविधाओं के मामले में कुछ सुधार करने पर सहमति व्यक्त की और वादा किया कि अगर वे वास्तविक हैं तो श्रमिकों की शिकायतों पर गौर किया जाएगा। लेकिन जैसा कि श्रम आयुक्त द्वारा सुझाए गए नियम सही नहीं थे। सभी नियोक्ताओं द्वारा प्रेरित होकर, संघ के प्रतिनिधियों ने 13 मई 1947 को उस अधिकारी से मुलाकात की और बताया कि यदि उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो संघ ने 20 मई 1947 के बाद किसी भी दिन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। चूंकि श्रम आयुक्त की सुलह-समर्थक सलाह इस प्रकार विवाद का समाधान करने में विफल रही इसलिए उन्होंने 13 मई 1947 को अधिनियम की धारा 12 (4) के अनुसार राज्य सरकार को एक रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया कि उनके द्वारा समाधान करने के लिए उठाए गए कदम क्यों असफल साबित हुए। उस रिपोर्ट में उसके द्वारा न्यूनतम शर्तों को लागू करने के सुझाव दिए और दस मांगों को जिन्हें कर्मचारियों द्वारा रखा गया था सूचीबद्ध करते हुए श्रम आयुक्त ने कहा-

"जैसा कि नियोक्ताओं ने मेरे द्वारा सुझाए गए न्यूनतम शर्तों को स्वीकार नहीं किया है और कर्मचारियों के अशांत होने के कारण मुझे आशंका है कि वे किसी भी समय हड़ताल कर सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि श्रमिकों द्वारा की गई उपरोक्त मांगों को निर्णय के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण को संदर्भ भेजा जा सकता है। मैंने कार्यकर्ताओं को सलाह दी है कि उसके नोटिस पर सरकार के आदेशों के लंबित रहने तक आगे की कार्रवाई को स्थगित रखें।"

और उसने इस विवाद पर निर्णय लेने के लिए विशेष औद्योगिक न्यायाधिकरण के एकमात्र सदस्य के रूप में एक सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति का सुझाव देते हुए निष्कर्ष निकाला।"

इसके बाद सरकार ने 20 मई 1947 को जी ओ एम एस सं 2227 जारी किया जो निम्न प्रकार था-

"कि कुछ मामलों के संबंध में मद्रास शहर में सिनेमा टॉकीज के श्रमिकों और प्रबंधन के बीच एक औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है

और महामहिम मद्रास के राज्यपाल की राय में उक्त औद्योगिक विवाद को निर्णय के लिए संदर्भित करना आवश्यक है;

इसलिए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 (1) (सी) के साथ पठित धारा 7 (1) और (2) द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम मद्रास के राज्यपाल एतद्द्वारा एक औद्योगिक न्यायाधिकरण का गठन करते हैं जिसमें एक व्यक्ति श्री दीवान बहादुर के एस रामास्वामी शास्त्री सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीशह होगें और निर्देश देते हैं कि उक्त औद्योगिक विवाद को न्याय निर्णयन के लिए उस न्यायाधिकरण को भेजा जाए।

औद्योगिक न्यायाधिकरण अपने विवेकाधिकार पर प्रारंभिक जांच के आलोक में मुद्दों का निपटारा कर सकता है जो वह इस उद्देश्य के लिए कर सकता है और उसके बाद उक्त औद्योगिक विवाद पर निर्णय ले सकता है।

श्रम आयुक्त को संबंधित सिनेमा टाकिज के प्रबंधन के आदेश की प्रतियां भेजने का अनुरोध किया जाता है।

न्यायाधिकरण ने सभी 24 सिनेमाघरों को नोटिस भेजे और शहर की कंपनियाँ और एसोसिएशन से अपने-अपने मामलों के बयान दायर करने और 7 जुलाई 1947 को उसके सामने पेश होने का नोटिस भेजा। तदनुसार दोनों पक्षों द्वारा अभिवचन दायर किए गए जिनके आधार पर अधिकरण द्वारा 22 विवाद्यक बनाये गये जिनमें से 3 विवाद्यक निम्न प्रकार थे-

क्या प्रबंधन और सिनेमा घर के कर्मचारियों के मध्य ऐसा विवाद विद्यमान है जिसके निर्धारण के लिए सरकार द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरण को संदर्भ भेजा जाना न्यायोचित था क्या ऐसी आपत्ति कानूनन मान्य है

कुछ कंपनियों जिनमें "प्रभात टाकिज" भी शामिल थी द्वारा यह दावा किया गया कि उनके कर्मचारियों व प्रबंधन के बीच ऐसा कोई विवाद नहीं था और उन्हें पंचाट के संदर्भ में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था न्यायाधिकरण ने इसे खारिज करते हुए यह माना कि-

"भले ही कुछ थियेटरों के कर्मचारी अपने काम से संतुष्ट है लेकिन पूरी इण्डस्ट्री में यह एक बडा विवाद है और हम इस निष्कर्ष पर पहु ॅचे है कि मूल वेतन वेतन वृद्धि महंगाई भत्ता आदि के बारे में संपूर्ण मद्रास शहर के सभी उद्योग हमारे निर्णय से बाध्य होंगे यदि सरकार हमारे पंचाट को स्वीकार कर लागू करती है।"

तदनुसार न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि किसी भी सिनेमा कंपनी को इस औद्योगिक विवाद और निर्णय के दायरे से नहीं हटाया जाना चाहिए। यह भी एक तथ्य के रूप में पाया गया कि पहले प्रत्यर्थी की कंपनी द्वारा सामने रखी गयी औद्योगिक शांति और संतुष्टि की सुखद तस्वीर साक्ष्य द्वारा उचित नहीं थी। इस प्रकार एसोसिएसन के लिए विवाद्यक संख्या 3 पाया गया। अधिकरण ने अंतत 15 दिसम्बर 1947 को अपना फैसला सुनाया जिसमें सरकार के 13 फरवरी 1948 के आदेश की पुष्टि

की और उसे 25 फरवरी 1948 से श्रमिकों और प्रबंधन पर बाध्यकारी घोषित किया गया जो कि इसके फोर्ट सेंटजॉर्ज गजट में प्रकाशन की तारीफ से एक वर्ष की अवधि से था। यह आरोप लगाया गया कि प्रथम प्रत्यर्थी पंचाट के कुछ प्रावधानों को लागू करने में विफल रहा जबकि उनका कार्यन्वन होना था और इस तरह उसके द्वारा अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध किया गया।

हालांकि 24 अप्रैल 1950 तक कोई अभियोजन संस्थित किया गया क्योंकि इस बीच मद्रास उच्च न्यायालय के कुछ निर्णय विशेष विभागों या समूहों को निर्दिष्ट किए बिना सामान्य शब्दों में किए गए संदर्भों की वैद्यता पर संदेह पदा करते थे। जब इस तरह के विवाद मौजूद थे तब श्रमिकों और प्रबंधन के बीच ऐसी संदर्भों पर पारित पंचाट को मान्य करने के लिए कानून को आवश्यक माना गया था। तद्नुसार औद्योगिक विवाद (मद्रास संशोधन) अधिनियम 1949 को 10 अप्रैल 1949 को पारित किया गया था। जिसका उददेश्य अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करना था कि उस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पहले घटित किसी भी औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दिए गये सभी निर्णय वैद्य माने जायेगें और किसी भी न्यायालय में इस आधार पर पूछताछ नहीं कि जायेगी कि जिस विवाद से पंचाट संबंधित है उसे औद्योगिक अधिनियम 1947 (धारा 5) के प्रावधानों के अनुसार न्यायाधिकरण को नहीं भेजा गया था। इसमें सिनेमा थियेटरों के प्रबंधन और श्रमिकों के बीच विवादों में पंचाट (धारा 6) सहित कुछ निर्दिष्ट पंचाटों को मान्य करने का भी इरादा था जो स्पष्ट रूप से इन कार्यवाहीयों में विचाराधीन पंचाट को संदर्भित करता था। उच्च न्यायालय में अपने आवेदन के समर्थन में प्रथम प्रत्यर्थी ने तीन दलीलें दी। सर्वप्रथम यह है कि सरकार के पास प्रश्न में संदर्भ देने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था क्योंकि प्रभात टाकिज के प्रबंधन और श्रमिकों के बीच कोई विवाद नहीं था और इसलिए संदर्भ और पंचाट पहले प्रत्यर्थी से संबंध में अधिकार क्षेत्र से बाहर व शून्य थे। दूसरा यह कि

किसी भी मामले में किसी औद्योगिक विवाद को अधिकरण को संदर्भित करने वाली सरकार की अधिसूचना अधिनियम के तहत सक्षम नहीं थी क्योंकि इसमें निर्णय के लिए उत्पन्न होने वाले किसी भी विशिष्ट विवाद का उल्लेख नहीं था और उनकी कंपनियों या फर्मों का उल्लेख नहीं किया गया था जिनमें कहा जाता है कि विवाद मौजूद थे या पकडे गये थे। और तीसरा यह है कि मद्रास संशोधन अधिनियम धारा 107 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत असंविधानिक और शून्य था। केन्दीय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के प्रतिकूल था और संविधान के अनुच्छेद 13(1) सपठित अनुच्छेद 14 के तहत भेदभाव पूर्ण चरित्र वाला होने के कारण शून्य था। न्यायाधीशों ने अलग-अलग लेकिन सहमत निर्णयो द्वारा इन तर्कों को बरकरार रखा और संविधान की धारा 132(1) के तहत संविधान के तहत कानून के सार्वभूत प्रश्न के निवर्चन हेतु प्रमाण पत्र जारी किया। हमने अपीलकर्ता के पहले दो बिंदुओं पर सुनवाई करना प्राथमिक रूप से माना लेकिन हम संविधानिक मुददे के बिंदु पर कोई दलीलें नहीं सुनेंगे।

पक्षों की मुख्य दलीलों से निपटने से पहले हम श्री कृष्णा स्वामी अयंगर द्वारा पहली बार हमारे सामने उठाये गये एक छोटे से मुददे का निपटारा कर सकते है कि अधिनियम के पंचाट की कुछ शर्तों की उल्लंघन के लिए पहले प्रत्यर्थी पर अभियोजन किया जाना चाहिए। अधिकरण के फेैंसले की शर्तें मान्य नहीं है क्योंकि इसे पंचाट की समाप्ति के पश्चात दायर किया गया था। इस तर्क के समर्थन में विद्वान वकील ने उन मामलों की सादृष्यता का आहवान किया जहॉ यह माना गया था कि एक अस्थाई कानून के तहत अपराध के लिए अभियोजन शुरू नहीं किया जा सकता या जब कानून लागू था तब शुरू किया गया था उसके बाद जारी नहीं रखा जा सकता था। उन निर्णयों का यहां कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता। पहले प्रत्यर्थी पर अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया जो एक स्थायी कानून था और

जब उसने पंचाट की कुछ शर्तों का कथित उल्लंघन किया जो उस समय लागू थी इसलिए उस समय उसका दायित्व था कि अधिनियम के तहत उस पर मुकदमा चलाया जाए। यह तथ्य कि पंचाट बाद में समाप्त हो गया उस दायित्व को प्रभावित नहीं कर सकता।

"अपीलकर्ता की ओर से मद्रास के महाधिवक्ता ने आग्रह किया कि जब सरकार ने विचाराधीन संदर्भ दिया था तो क्या कोई औद्योगिक विवाद मौजूद था यह एक तथ्य का था। जिसे उच्च न्यायालय द्वारा उसे विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य दर्ज किए जाने से पहले प्रारंभिक चरण में नकारात्मक नहीं मानना चाहिए था। हालांकि इन्होंने यह भी कथित किया कि रिकॉर्ड पर पहले से ही मौजूद दिखाई देने वाले तथ्यों पर इसमे कोई उचित संदेह नहीं था कि एक औद्योगिक विवाद मौजूद था। हम इससे सहमत है। श्रम आयुक्त के 13 मई 1947 के पत्र में दी गयी दस मांगें जिन पर मद्रास के 24 सिनेमा घरों के प्रबंधनों ने सहमति नहीं जतायी स्पष्ट रूप मे अधिनियम के अर्थ में औद्योगिक विवाद का गठन करते है। जस्टिस वसीर अहमद जिन से अन्य विद्वान न्यायाधीश सहमत थे] कहते हैं- 'आयुक्त के पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि दक्षिण भारतीय सिनेमा कर्मचारी संघ द्वारा की गयी ये मांगें मद्रास शहर में सिनेमा घरों के संबंध में मालिकों को एक निकाय के रूप में या उनमें से किसी को व्यक्तिगत रूप से संदर्भित की गयी थी।'

हमारा मामला है कि यह तथ्यों की गलत समझ पर आधारित है मूल रूप से 08 नवंबर 1946 को प्रस्तुत एसोसिएशन के ज्ञापन में उल्लेखित मांगे समान थी ओर उन्होनं सुलह कार्यवाही के दौरान शहर में सिनेमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा का विषय बना है। वह ज्ञापन जिसे नीचे के न्यायालय में रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया था, यहॉ प्रस्तुत किया गया था और श्री कृष्णा स्वामी अयंगर संतुष्ट थे कि

उस ज्ञापन में उल्लेखित मांगे वही थी जो श्रम आयुक्त के पत्र दिनांक 13 मई 1947 में थी जिसके बारें में सभी नियोक्ता पूरी तरह से अवगत थे। न ही यह कहना सही है कि विवाद यदि कोई हो जो याचिकाकर्ता के सिनेमा के श्रमिकों और स्वयं याचिकाकर्ता के बीच मौजूद हो सकता है। याचिकाकर्ता द्वारा आयुक्त द्वारा सुझायी शर्तों को तैयार और स्वेच्छा से स्वीकार कर सुलझा लिया गया था। पहले प्रत्यर्थी द्वारा स्वीकार की गयी शर्तें वहीं थी जिन्हें आयुक्त ने न्युनतम शर्तें कहा था और यह किसी भ तरह से एसोसिएशन द्वारा रखी गयी मांगों के समान नहीं थी] जिन्हें एसोसिएशन द्वारा कभी स्वीकार नहीं किया गया था। आयुक्त के पत्र 13 मई 1947 द्वारा यह स्पष्ट कर दिया।

लेकिन वास्तव में इस बात पर विचार करना जरूरी नहीं था कि जब सरकार ने 20 मई 1947 को संदर्भ दिया था तो पहले प्रत्यर्थी और उसके कर्मचारियों के बीच कोई विवाद था या नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान न्यायाधीशों ने यह मान लिया कि अधिनियम की धारा 10(1) के तहत विवाद अधिकरण को भेजा जाना चाहिए ताकि परिणामी पंचाट किसी विशेष औद्योगिक प्रतिष्ठान और उसके कर्मचारियों पर बाध्यकारी हो सके। मद्रास सरकार के अब विचाराधीन संदर्भ आदेश का विश्लेषण करते हुए विद्वान न्यायाधीशों का मानना है कि 'यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता और उसके कर्मचारियों के बीच किसी भी विवाद के अस्तित्व का कोई उल्लेख नहीं है-----------वास्तव में इस याचिकाकर्ता के संबंध में अधिकरण में संदर्भित करने के लिए कोई विवाद नहीं था। इसलिए यदि कोई संदभ्र देने का अधिकार क्षेत्र नहीं था तो इसका मतलब है कि पूरा संदर्भ और पंचाट दोनों मान्य है और याचिकाकर्ता पर बाध्यकारी नहीं है। यह विचार 'ऐसा संभावित होता है' शब्दों पर कोई प्रीााव नहीं डालता है। वर्तमान मामले में सरकार ने'

बीच एक औद्योगिक विवाद' का उल्लेख किया। जैसा कि श्रम आयुक्त ने सरकार को लिखित पत्र में बताया मद्रास में 24 सिनेमा कंपनियां थी और एसोसिएशन जो एक

विधिवत पंजीकृत ट्रेड यूनियन के रूप में अपने कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता था] ने सभी सिनेमा के कर्मचारियों की ओर से मांगें रखी। शहर के सिनेमा घरों में प्रभात टाकिज के 43 श्रमिकों में से 15 निश्चित रूप से एसोसिएशन के सदस्य थे जो इस प्रकार के विवाद के पक्षों में से एक्य रूप में सामने आये] उस स्थिति में सरकार ने प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिष्ठान की स्थितियों की बारीकी से जांच किए बिना सोचा होगा कि श्रमिकों को प्रभावित करने वाले विवाद शहर में सिनेमा उद्योग में मौजूद है और भले ही ऐसे विवाद वास्तव में किसी विशेष में उत्पन्न नहीं हुए हों। स्थापना उनकी सामूहिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उस स्थापना के संबंध में ही आसन्न होने की आशंका जतायी जा सकती है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि अधिकरण द्वारा सभी 24 कंपनियों को नोटिस भेजे गये थे और कर्मचारियों की ओर से एसोसिएशन द्वारा की गयी मामलों के जवाब में सभी ने अपने मामले में लिखित बयान दाखिल किए थे। इन परिस्थितियों में यह दावा करना बेकार है कि सरकार के पास संदर्भ देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और यह पंचाट प्रत्यर्थी के संगठन पर बाध्यकारी नहीं था। बाद वाले स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 18 के तहत पंचाट से बाध्य थे।

इसके बाद यह तर्क दिया गया कि संदर्भ सक्षम नहीं था क्योंकि यह अपने शब्दों में बहुत अस्पष्ट और सामान्य था जिसमें विवादों या उन पक्षों का कोई विवरण नहीं था जिनके बीच विवाद उत्पन्न हुआ था और यह कहा गया था कि सरकार को अधिनियम की धारा 10(1) के तहत विवादों को अधिकरण में भेजने से पहले उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। ऐसा करने में विफलता से कार्यवाही और परिणामी पंचाट को दूषित कर दिया। इस आपत्ति को कायम रखते हुए जस्टिस गोविंदा मेनन जिन्होंने अपने फैसले में इस पर अधिक विस्तार से विचार किया] ने दूसरी बार यह तर्क दिया गया है कि संदर्भ में विवाद को बिल्कुल निर्दिष्ट नहीं किया गया है। संदर्भ में जो कहा गया है वह यह है कि एक औद्योगिक विवाद कुछ मामलों के संबंध में मद्रास शहर में सिनेमा घरों में श्रमिकों

और प्रबंधन के बीच विवाद उत्पन्न हुआ है। इसी तरह की संदर्भों पर आधारित पंचाट हाल ही में इस न्यायालय में विचार का विषय रहे है। रामय्या पुंतुलु बनाम कुटटी और राव (इंजिनियर) लिमिटेड में होरबिल और राजगोपालन जे जे को यह निर्धारित करना था कि पंचाट जो समान संदर्भ के आधार पर था जो कि यह बिना निर्दिष्ट किए था कि विवाद क्या था। इंडिया पेपर पल्प कंपनी लिमिटेड बनाम इंडिया पेपर पल्प वर्कस यूनियन में संघीय न्यायालय के फैसले दिनांक 30 मार्च 1949 का जिक्र करते हुए की इसे कंदन टैक्सटाईल लिमिटेड बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण मद्रास के निर्णय दिनांक 26 अगस्त 1949 में संदर्भित नहीं किया गया। विद्वान न्यायाधीश ने विचार व्यक्त किया कि'

की प्रवृति को संघीय न्यायालयों के उनके आधिपत्य द्वारा खारिज नहीं किया गया है।' हालांकि जस्टिस वसीर अहमद ने शहीद ने उस मामले के तथ्यों पर संघीय न्यायालय के फैसले को अलग करने की कोशिश की] यह टिप्पणी करते हुए कि 'संदर्भ के आदेश को पढने से जो कि संघीय न्यायालय के फैसले का विषय-वस्तु था] एक स्पष्ट विचार बताता है एक निश्चित विवाद] इसकी प्रकृति और अस्तित्व और वे पक्ष जिनके बीच विवाद था।' हालांकि यह संदर्भ के आदेश से स्पष्ट है जो फैसले में पूरी तरह से निकाला गया है कि उसमें यह उल्लेख नहीं किया गया है कि विशेष विवाद क्या था और यह उस चूक के आधार पर आपत्ति को खारिज करने में था जो कि सी जे कानिया ने कहा था-

'इस धारा के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आदेश में विशेष विवाद का उल्लेख किया जाए। यदि विवाद का अस्तित्व और यह तथ्य कि विवाद अधिकरण को भेजा गया है आदेश से स्पष्ट है। उस सीमा तक आदेश नहीं है दोषपूर्ण प्रतीत होता है। हालांकि अधिनियम की धारा 10 में विवाद को अधिकरण में संदर्भित करने की

आवश्यकता है। न्यायालय को आदेश को समग्र रूप से पढना होगा और यह निर्धारित करना होगा कि वास्तव में आदेश ऐसा संदर्भ देता है या नहीं।'

हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार के ध्यान में लाये गये तथ्यों और परिस्थतियों से संतुष्ट हुए बिना धारा 10(1) के तहत एक संदर्भ देना उचित होगा कि एक प्रतिष्ठान या किसी विशेष उद्योग में लगे प्रतिष्ठानों का एक निश्चित समूह में कोई औद्योगिक विवाद मौजूद है या उसके संदर्भ में आशंका है। यह भी वांछनीय है कि सरकार जहाॅ भी संभव हो संदर्भ के क्रम में विवाद की प्रकृति का संकेत दे। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि धारा 10(1) के तहत एक संदर्भ बनाते समय सरकार एक प्रशासनिक कार्य कर रही है और तथ्य यह है कि उसे प्रारंभिक कदम के रूप में एक औद्योगिक विवाद को तथ्यात्मक अस्तित्व के बारे में एक राय बनानी होगी। इसके कार्यों का निर्वहन इसे किसी भी तरह से कम प्रशासनिक चरत्र नहीं बनाता है इसलिए न्यायालय यह देखने के लिए संदर्भ के आदेश को बारिकी से प्रचारित नहीं कर सकता है कि क्या सरकार के समक्ष उसके निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री थी क्योंकि यह एक न्यायिक या अर्धन्यायिक निर्धारण था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक पार्टी के लिए खुला होगा जो परिणामी पंचाट को चुनौती देने की कोशिश करेगी ताकि यह दिखाया जा सके कि सरकार द्वारा जो संदर्भित किया गया था वह अधिनियम के अर्थ में एक औद्योगिक विवाद नहीं था और इसलिए अधिकरण के पास ऐसा पंचाट करने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। लेकिन यदि विवाद अधिनियम में परिभाषित एक औद्योगिक विवाद था तो इसका तथ्यात्मक अस्तित्व और किसी विशेष मामले की परिस्थितियों में संदर्भ देने की उपयुक्तता पूरी तरह से सरकार के लिए निर्णय लेने का मामला है और वह इसके लिए सक्षम नहीं होगी। न्यायालय ने संदर्भ को खराब माना और अधिकार क्षेत्र के अभाव में कार्यवाही को केवल इसलिए रदद कर दिया क्योंकि उसकी राय में सरकार के पास ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जिसके आधार पर वह उन

मामलों पर सकारात्मक निष्कर्ष कर आ सकती थी। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि मद्रास के कुछ निर्णयों की टिप्पणियों में इस भेद को ध्यान में रखा गया हो।

इसके अलावा सरकार के लिए उसके सामने रखी गयी सामग्री के आधार पर अपने संदर्भ के क्रम में विवाद को विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट करना हमेशा संभव नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है जहॉ सार्वजनिक हित के लिए मौजूदा या आसन्न हडताल या तालाबंदी को सार्वजनिक हित के लिए बिना किसी देरी के समाप्त किया जाना चाहिए या टाला जाना चाहिए जो अधिनियम की योजना के तहत केवल तभी किया जा सकता है जब इसे जन्म देने वाले विवाद को बोर्ड या अधिकरण को (धारा 10 (3) और 23 के अनुसार भेजा गया हो। ऐसे मामलों में सरकार के पास औद्योगिक शांति और उत्पादन को बनाये रखने के लिए यह पूछे बिना की प्रति स्पर्धी पक्ष किन विशिष्ट बिंदुओ पर झगड रहे है। अपने प्रतिबंधों और निषेधों के साथ निपटान की मशीन को चालू करने की शक्ति होनी चाहिए। धारा 10(1) को सरकार को ऐसी शक्ति देने से इंकार करने के लिए वैद्यानिक तंत्र की उपयोगिता को कम करना है। हमें उस प्रावधान की भाषा में ऐसा कुछ नहीं मिला जो ऐसे निर्माण के लिए बाध्य करता हो। बेशक सरकार को इस बात से संतुष्ट होने के लिए विवाद की प्रकृति का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए कि यह अधिनियम के तहत एक औद्योगिक विवाद है। उदाहरण के लिए यह छटनी या वाहनी से संबंधित है। लेकिन इसके अलावा धारा 10(1) के तहत संदर्भ देने से पहले विवादों के विवरण का पता लगाने या उन्हें आदेश में निर्दिष्ट करने के लिए सरकार पर झूठ बोलने का कोई दायित्व नहीं रखा जा सकता है।

इस निष्कर्ष को धारा 10(1) के क्लोज ए से और समर्थन मिलता है जो एक समझौते को बढावा देने के लिए बोर्ड को विवाद के संदर्भ के लिए एक ही भाषा में प्रदान करता है। एक बोर्ड अधिनियम द्वारा प्रदान की गयी सुलह मशीनरी का हिस्सा है

और यह नहीं कहा जा सकता है कि विवाद को ऐसे निकाय को संदर्भित करने के लिए निर्दिष्ट करना आवश्यक है जो केवल उन पक्षों के बीच मध्यस्थता करता है जिन्हें निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि वे किस बारे में विवाद कर रहे है। यदि विवादों का विवरण दिए बिना कोई संदर्भ क्लोज ए के तहत संदेह से परे है। इसे क्लोज सी के तहत अक्षम क्यों होना चाहिए। इस में कोई संदेह नहीं कि न्यायाधिकरण निर्णय लेता है जबकि बोर्ड केवल मध्यस्थता करता है लेकिन अधिकरण द्वारा निर्णय उद्योग में मौजूदा स्थितियों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष और उचित आधार पर विवादों के निपटारे का एक वैकल्पिक रूप है और यह किसी भी तरह से सामान्य सिविल विवादों को निर्धारित करने में एक मध्यस्थ के अनुरूप नहीं है। पार्टियों के कानूनी अधिकारों के लिए वास्तव में यह धारणा कि अधिनियम के तहत एक न्यायाधिकरण के संदर्भ में विशेष विवादों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए एक सामान्य मध्यस्थता के सादृश्य से लिया गया प्रतीत होता है। जैसा कि रामय्या पंतुलु बनाम कुटटी और राव (इंजिनियर्स) लिमिटेड मे कहा गया है कि

"यदि किसी विवाद को अधिकरण को भेजा जाना है तो विवाद की प्रकृति को उसी तरह निर्धारित किया जाना चाहिए,जैसे कि किसी दिवानी विवाद में मध्यस्थ को संदर्भित किया जाता है। अधिकरण किसी भी अन्य मध्यस्थ की तरह एक निर्णय तभी दे सकता जब संदर्भ के रूप में कोई विवाद उसके समक्ष स्पष्ट रूप से सामने रखा गया हो।"' सादृश्य कुछ हद तक भ्रामक है। अधिनियम के तहत अधिकरण द्वारा निर्णय का दायरा बहुत व्यापक है, जैसा कि वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाईल एसासिएशन बनाम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बांम्बे में बताया गया है और इसमें कोई कठिनाई शामिल नहीं होगी, यदि संदर्भ बी व्यापक शर्तों में दिया गया हो। निसंदेह विवाद धारा 2(क) में वर्णित प्रकारों से एक है और जिन पक्षों के बीच ऐसा विवाद वास्तव में उत्पन्न हुआ है या सरकार की नजर में इसकी आशंका है उन्हें उचित स्पष्टता के साथ व्यक्तिगत या

सामूहिक रूप से दर्शाया गया है। नियम-अधिनियम के तहत बनाये गए न्यायाधिकरण के लिए यह प्रावधान है कि वह पक्षों से उनके संबंधित मामलों में बयान मांगेगा और इस प्रकार न्यायाधिकरण अपना निर्णय देने से पहले विवादों को स्पष्ट कर देगा। दूसरी ओर यह महत्वपूर्ण है कि इसमें कोई प्रक्रिया प्रदान नहीं की गयी है। अधिनियम या नियमों में सरकार धारा 10(1) के तहत विवादों को अधिकरण में भेजने से पहले पार्टियों उनके विवरण का पता लगाती है।

आधुनिक जीवन की बढती जटिलता और नियोजित राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से जनता के हित में है कि श्रम विवादों को अधिनियम के ढांचे के भीतर शांति पूर्वक और शीघ्रता से निपटाया जाना चाहिए। प्रत्यक्ष कार्यवाही के तरीकों का सहारा लेने के बजाय जो सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को बिगाडने और देश में उत्पादन को कम करने के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार किए गये है और अदालतों को ऐसी बस्तीयों को उखाड फेकनें के लिए औपचारिक दोषों और तकनीकों खामियों की खोज करने में चतुर नहीं होना चाहिए।

परिणामस्वरूप हम उच्च न्यायालय के आदेश को रदद करते है और प्रथम प्रत्यर्थी की याचिका को खारिज किया जाता है।

न्यायमूर्ति बोस मैं सहमत हूँ लेकिन मैं अपने फैसले को इस आधार पर रखना पसंद करूगा कि इस मामले में पहले प्रत्यर्थी की व्याख्या पर भी अधिनियम की धारा 10(1) (सी) की शर्तों का पर्याप्त अनुपालन किया गया था। इसका अर्थात 'विवाद' शब्द के लिए सरकार को उस विवाद की प्रकृति को इंगित करने की आवश्यकता होती है जिसे न्यायाधिकरण को निपटाने की आवश्यकता होती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे फैसले में हमें 20 मई 1947 के आदेश को उसके साथ आये दस्तावेजों

सहित पढना चाहिए। मैं इस बात से भी सहमत हू ॅ किसी को अति तकनीकि नहीं होना चाहिए लेकिन अगर ऐसा नहीं होता कि मामला अब इंडिया पेपर पल्प कंपनी के मामले में निर्णय से तय हो गया है तो मैं इसे प्रकृति का एक संकेत मानने के लिए इच्छुक होता। विवाद का या तो आदेश में या उसके साथ आने वाले कागजात में आवश्यक था हालांकि अब यह तय हो गया है और मुझे इस निर्णय के पीछे जाने की कोई इच्छा नहीं है लेकिन मैं यह कहना चाहू ॅगा कि भले ही विवाद की प्रकृति को इंगित करना कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है मेरी राय में यह वांछनीय है कि ऐसा होना चाहिए।

अपील स्वीकृत की गयी।

अपीलार्थी के लिए अभिकर्ता- जी.एच. राजाध्यक्ष।

प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए अभिकर्ता- एस. सुब्रहामण्यम।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी (धर्मेन्द्र कुमार शर्मा) आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।